भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2262

19 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत लाभान्वित हुए किसान

2262. श्री महेंद्र भट्टः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के अंतर्गत चयनित किसानों की श्रेणियाँ कौन-कौन सी हैं;
(ख) इस योजना के अंतर्गत कितने किसानों को लाभ प्राप्त हुआ है; और
(ग) इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में कितने किसानों को लाभ प्राप्त हुआ है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) योजना सभी किसानों और साथ ही किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस), मार्केटिंग/बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी), कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी), कृषि-उद्यमियों, स्टार्ट-अप और केंद्रीय/राज्य एजेंसियों जैसी विभिन्न संस्थाओं के लिए भी उपलब्ध है।

(ख) और (ग): जुलाई 2020 में स्कीम की शुरुआत से दिनांक 25.11.2025 तक, 67,007 व्यक्तिगत किसानों को एआईएफ स्कीम का लाभ प्राप्त हुआ है जिसमें उत्तराखंड के 307 किसान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कुल 1,39,837 मामलों को मंजूरी दी गई है, जिसमें उत्तराखंड के 680 मामले शामिल हैं। एफपीओ, पीएसीएस आदि जैसी संस्थाओं में कई सदस्य किसान हैं, जिनकी सटीक संख्या का केंद्रीय रूप से रख-रखाव नहीं किया जाता है।
